



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएस) के माध्यम से **सोमवार, 17 मई, 2021 को** प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा:

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसके बाद '**बीआर अधिनियम**' कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद '**अधिनियम**' कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i) के संबंध में जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाए गए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद '**योजना**' कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 (जिसे इसके बाद '**विनियमन**' कहा जाएगा) तथा आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 व आगे उसमें किसी संशोधन के साथ पठित भारिबैं/बैंविवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंविवि.नियु.सं. 9/29.67.001/ 2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देश (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) , 2019 (जिसे इसके बाद '**आरबीआई निर्देश**' कहा जाएगा) तथा 25.03.2015 व 08.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पठित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 16/83/2013-बीओ.1 दिनांकित 03.09.2013, एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.1 दिनांकित 28.04.2015 व दिनांकित 20.07.2016 तथा इसमें किए गए किसी संशोधन (जिसे इसके बाद भारत सरकार के दिशानिर्देश कहा जाएगा) की शर्तों के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करने तथा संशोधन सहित या संशोधन (ओं) के बिना निम्नांकित संकल्प को पारित करने हेतु

संकल्प किया जाता है कि बीआर अधिनियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i), योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम, आरबीआई निर्देशों तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित निदेशक को एतदद्वारा चुनाव के परिणामों की घोषणा के अगले दिवस से बैंक के निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार पदधारण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदग्रहण करेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 अप्रैल, 2021

(एस कृष्णन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणियां :

1. विडियो कॉफ़ेसिंग के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है तथा सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। एमसीए (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15.06.2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28.09.2020 तथा परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31.12.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में 30 जून, 2021 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन की अनुमति है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ़ेसिंग (वीसी) के माध्यम किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को एक सामान्य स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बँठकें) विनियम, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। जैसा कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन किया जाएगा, सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत आवश्यक मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, ईजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएगी तथा इसे ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिन्होंने अपने ई-मेल आई बैंक या डिपॉजिटरी सहभागी के पास पंजीकृत किया है। ईजीएम की सूचना बैंक वेबसाइट तथा शेयर बाजारों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। शेयरधारक ई-मेल आईडी में अद्यतन के लिए, मूल शेयर होने की स्थिति में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट से और डीमेट फॉर्म में शेयर होने की स्थिति में डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करें।

2. **विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि :** चुनाव में भाग लेने यथा नाम निर्देशन, नोटिस में उल्लिखित अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में निर्वाचन व मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए **मंगलवार, 20 अप्रैल 2021** को विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि नियत करने का निर्णय लिया गया है।

3. मताधिकार

यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 (2ई) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक मताधिकार के समय बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नहीं करेगा।

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 की शर्तों के अनुसार, बैठक में भाग लेने व मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

4. **परोक्षी की नियुक्ति :** बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे/होगी तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति :**

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् **12 मई, 2021 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पूर्व** प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 स्थित शेयर कक्ष में जमा नहीं की जाती है या संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

6. डाउनलोडिंग के लिए बैठक की सूचना बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.psbindia.com (निवेशक सूचना पृष्ठ), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

7. **व्याख्यात्मक विवरण:**

बैठक की मदों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित करता हुआ व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।

8. **शेयर अंतरण एजेंट से संचार:**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि हो) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

नियर सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने डिपॉजिटरी सहभागियों को दें।

9. इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

- I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44, शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में मर्दानों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। वोट डालने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 नियत है।
- II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहेंगे तथा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से चुनाव में मतदान नहीं किया है, ईजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
- III. जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- IV. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम माध्यम में ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

V. दूरस्थ ई-मतदान हेतु निर्देश इस प्रकार हैं :-

- (i) बुधवार, 12 मई, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा रविवार, 16 मई, 2021 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास विनिर्दिष्ट तिथि मंगलवार, 20 अप्रैल, 2021 को शेयर मूल अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- (ii) शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक स्थल पर मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (iii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
- (iv) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- (v) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल हेतु - 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।

ख. एनएसडीएल हेतु - 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।

ग. भौतिक रूप में शेयरधारक बैंक में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल के ईएसआई/ईएसआईआईएसटी ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं तो अपने लॉग-इन क्रेडेंसियल उपयोग करके Login-Myeasi से <https://www.cdsindia.com> पर लॉग-इन कर सकते हैं। सीडीएसएल के

ईएसआई/ईएसआईईसटी ई-सेवाओं में सफलतापूर्वक लॉग-इन पश्चात ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करें तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने के लिए सीधे आगे बढ़ें।

- (vi) आगे दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- (vii) यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु ई-मतदान किया है तो आपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करना है।
- (viii) यदि आप प्रथम बार प्रयोगकर्ता हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु	
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)</p> <ul style="list-style-type: none"> शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है , से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	<p>लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।

- (ix) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टेब पर क्लिक करें।
- (x) सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, शेयरधारक जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं “पासवर्ड क्रिएशन विकल्प” में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान करवाती हो। बलपूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- (xi) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस सूचना में उल्लिखित अनुसार केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xii) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के “ईवीएसएन” पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- (xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आप उम्मीदवारों का नाम व उनका संक्षिप्त विवरण देखेंगे, आपको उनमें से किए एक का चयन करना है तथा सबमिट पर क्लिक करना है।
- (xiv) एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैंसल” पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।
- (xv) संकल्प पर एक बार मतदान की “पुष्टि” के पश्चात आपको अपने मतदान को संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) मतदान पृष्ठ पर “प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें व प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xviii) सीडीएसएलएस के मोबाइल ऐप “एम-वोटिंग” का उपयोग करके भी शेयरधारक अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर दूरस्थ मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन क्रेडेंसियल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in. को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. डीमेट शेयरधारकों के लिए - complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in. को डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल -16 अंकों का लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल - 16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले रहे शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

1. सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम से शेयरधारकों को ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक, दूरस्थ ई-मतदान क्रेडेंसियल का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन के अंतर्गत <https://www.evotingindia.com> पर इसका एक्सेस कर सकते हैं। शेयरधारक/ सदस्य लॉगइन में वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
2. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. बैठक के दौरान किसी भी विक्षोभ से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमति देने तथा अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप द्वारा जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु निर्देश इस प्रकार हैं:

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
3. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा मतदान किया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

4. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक ईजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए नोटः

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और “कॉरपोरेट” मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगइन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए तथा खातों के अनुमोदन पर वे अपना मतदान करने में सक्षम होंगे।
- बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि हो), संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और उसे जांच के लिए संवीक्षक को सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

यदि आपको ई-मतदान प्रणाली द्वारा ईजीएम में भाग लेने व ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) व ई-मतदान मैनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

10. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंथसुब्रमनीअन एण्ड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ईजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और शेयर बाजारो व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

11. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित व कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में शेयर कक्ष की स्थापना की है, किसी भी सहायता के लिए शेयरधारक नीचे उल्लिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25782926, 25812922, ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

12. अन्य जानकारी :

- a. शेयरधारक जो समान नामों में अनेक फोलियों में या नामों के एक ही क्रम में संयुक्त नाम से भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, से अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को एकल फोलियों में समेकन के लिए आरटीए को भेजें।
- b. यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 40 के अनुसार प्रतिभूतियों के स्थानांतरण या स्थिति-अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध की स्थिति के अतिरिक्त सूचीबद्ध इकाइयों की प्रतिभूतियां दिनांक 01.04.2019 से केवल अमूर्त रूप में ही हस्तांतरित की जा सकती हैं। उपरोक्त के मद्देनजर तथा भौतिक शेयरों से जुड़े हुए जोखिम को कम करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन के सुगमता के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इस संबंध में सहायता के लिए शेयरधारक बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
- c. बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में धारित शेयर होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। आगे नाम, डाक-पता, ईमेल पता, दूरभाष/मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे - बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कूट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपीएस को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 अप्रैल, 2021

(एस. कृष्णन)
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

व्याख्यात्मक विवरणी

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव के लिए उपबंधित करता है तथा धारा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंधित करता है कि यदि बैंक द्वारा जनता को निर्गम की गई पूंजी, कुल प्रदत्त-पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो शेयरधारकों द्वारा केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त अपने में से एक निदेशक का चुनाव किया जाए। अधिमान्य निर्गम द्वारा दिनांक 25.03.2021 को भारत सरकार को सामान्य शेयरों के आबंटन के बाद बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 2.93 प्रतिशत है।

शेयरधारक निदेशक के रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, बैंक के शेयरधारकों (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए बैंक की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त), प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियमन/आरबीआई दिशानिर्देश/ केंद्रीय सरकार के दिशानिर्देशों, प्रासंगिक उद्धरण/भाग जो अन्यत्र पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, में विस्तृत प्रक्रिया अनुसार अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं।

विधिक प्रावधान:

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजना/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों का उल्लेख है -

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरा
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none">पर्याप्त हितसमान निदेशकों का निषेधअपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2 ई) धारा 9 (3) (i) धारा 9 (3 ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3 ए ए) व धारा 9 (3 ए बी) धारा 9 (3 बी) धारा 13 (2)	<ul style="list-style-type: none">मताधिकार पर प्रतिबंधशेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्याकतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञानकोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि वह पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड के अनुसार 'उचित व उपयुक्त' प्रतिष्ठाधारक, ईमानदार और इस प्रकार के अन्य मानदंड जैसा आरबीआई निर्धारित कर सकता है, व्यक्ति हो।उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) तथा 9 (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले किसी चयनित निदेशक को हटाने का आरबीआई का अधिकार।निष्ठा तथा गोपनीयता के रूप में बाध्यता।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी	<ul style="list-style-type: none">चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल।बैंक में निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता।निदेशक का कार्यालय खाली करना।चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाना।चुने गए किसी निदेशक का कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना।

	खंड 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित है, उन हितों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
पंजाब एण्ड सिंध (शेयर और बँठकें) विनियमन, 2008	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव शेयरधारकों की सूची चुनाव हेतु उम्मीदवारों का चयन नामांकनों की संवीक्षा चुनाव विवाद मताधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान परोक्षी
भारिबैं/बैंवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंवि.नियु.सं. 9/29.67.001/ 2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3 ए बी) तथा धारा 9 (3 ए ए) के अनुसरण में	भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संदर्भ एफ. सं. 16/83/2013-के माध्यम से पत्र दिनांकित 03.09.2013 तथा जीओआई पत्र एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.आई. दिनांकित 28.04.2015 के माध्यम से अग्रेषित अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 25.03.2015 तथा जीओआई पत्र एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.आई. दिनांकित 20.07.2016 के माध्यम से अग्रेषित संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 08.07.2016 तथा इसके बाद तत्संबंधी संशोधन, यदि हो।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/95 डीबीआर सं. डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांकित जुलाई 01, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना।
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना, आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 के साथ पठित भारिबैं/ बैंवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंवि.नियु.सं: 9/29. 67. 001/2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश से संगत उद्धरण को बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

चुनाव में सहभागिता :

जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, जिन शेयरधारकों के नाम निर्दिष्ट तिथि अर्थात् **मंगलवार, 20 अप्रैल, 2021** को शेयरधारकों/ हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज हैं, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के मध्य में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने यथा नामांकन, निर्वाचन तथा मतदान के लिए पात्र होंगे।

कृपया ध्यान दें कि केंद्रीय सरकार, निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में भाग ले सकता है।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हताएं :

अधिनियम की धारा 9 (3 ए) के अनुसार, वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक है, उसे

A. निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो :

- (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- (ii) बैंकिंग
- (iii) सहकारिता
- (iv) अर्थशास्त्र
- (v) वित्त
- (vi) विधि
- (vii) लघु उद्योग
- (viii) किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है।
(आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 के माध्यम से बैंकों में निदेशक की नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विस्तार कर (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, को शामिल किया है)

B. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या

C. किसानों, कामगारों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) के अनुसार, धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि वह पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड के अनुसार 'उचित व उपयुक्त' प्रतिष्ठाधारक, ईमानदार और इस प्रकार के अन्य मानदंड जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है, वाला व्यक्ति हो।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3 क क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की विशिष्ट 'उचित और उपयुक्त' मापदंड निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या बैंवि.नियु.सं.9/29. 67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019 जारी की है।

आगे, निर्वाचित निदेशक को बैंक की आचार संहिता के अधीन प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना होगा।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं

A. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार निम्न व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने या निदेशक बनने का पात्र नहीं होगा :

- (i) यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया है या उसने लेनदारों का भुगतान निलंबित किया हो या प्रशमन किया हो; या
- (ii) यदि उसे विकृत चित्त का पाया गया हो तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो ; या
- (iii) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी फौजदारी अदालत ने उसे दोषी ठहराया हो ; या
- (iv) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के धारित पद के अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और

B. यदि वह बैंक बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ पठित आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निर्देश बैंकिंग.नियु.सं.9/29. 67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019 के अनुसार 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाया गया हो।

कृपया ध्यान दें - बैंक में प्राप्त कानूनी परामर्श तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अनुसार, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए 'उचित और उपयुक्त' नहीं माना जाएगा।

शेयरधारकों की सूची :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बंधक) विनियमन 2008 के विनियम 64 में उपबंधित अनुसार, शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यथा सीडी/पेन ड्राइव या इस प्रकार के अन्य माध्यम), बैंक के प्रधान कार्यालय, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में स्थित शेयर कक्ष में सोमवार, 26 अप्रैल, 2021 से ₹ 50,000 (रुपये पचास हजार हजार मात्र) के भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, भुगतान अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश से किया जाना है जो नई दिल्ली में देय "पंजाब एण्ड सिंध बैंक" के पक्ष में जारी होगा। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को वचन कि इस सूची का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा तथा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, सहित "कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शेयर कक्ष, प्रधान कार्यालय, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008" को संबोधित करते हुए अनुरोध पत्र प्रेषित करना होगा।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में स्थित शेयर कक्ष में सभी कार्यालयीन दिवस (रविवार, माह के दूसरे व चौथे शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) यथा सोमवार से शनिवार अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को चुनिंदा/आंशिक जानकारी की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है तो प्रतिलिपि के लिए आवश्यक प्रत्येक 1,000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹ 5/- (रुपये पाँच मात्र) की दर पर पूर्व-भुगतान पर उसे दिया जाएगा।

चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

I. नामांकन की वैधता :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 65 के संदर्भ में, भारि.बैंक के दिशा-निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देश और किसी भी अन्य संशोधन या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा :

- a) वह शेयरधारक जिसके पास **मंगलवार, 20 अप्रैल 2021** को बैंक के **100 (एक सौ) शेयर** से कम नहीं है जो की चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से एक निर्दिष्ट तिथि / कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है तथा यदि वह निर्वाचित होता है तो बैठक की तिथि तक और उसके कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों को धारण करता है।
- b) नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि **शनिवार, 01 मई, 2021** तक की स्थिति के अनुसार, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 या पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008 के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है तत्पश्चात, दिनांकित 02 अगस्त 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक निर्देशों (सरकारी क्षेत्रों के बैंक के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उचित और उपयुक्त" मानदंड के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के लिए "उचित और उपयुक्त" पाया गया है, साथ पढ़ा जाए 25 मार्च 2015 और 08 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए दिशानिर्देश या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए जारी किए जा सकते हैं।
- c) वैध नामांकन लिखित में और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचन करने के लिए पात्र कम से कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** अथवा उनके यथाविधि अटर्नि ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, बशर्ते कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने की स्थिति में जिस बैठक में इस तरह का संकल्प पारित किया जाए उस बैठक क अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि कंपनी सचिव को संबोधित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रधान कार्यालय में शेयर रक्षक, 21- राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को प्रेषित हो तथा इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- d) वैध नामांकन के साथ घोषणा संलग्न हो जो किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेस अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी द्वारा के विधिवत हस्ताक्षरित हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो अधिनियम/विनियमन/योजना/भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/निदेशक होने से लागू होने वाले भारत सरकार के दिशानिर्देशों अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- e) नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म वैसे हैं जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित है तथा प्रोफार्मा के रूप में अनुलग्नक हैं। (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी पूर्ण सूचना के साथ उपलब्ध है।)

II. नामांकन फार्मों को जमा करना :

- a) केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नीचे दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए "पंजाब एण्ड सिंध बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव - 2021" व्यक्तिगत रूप से या कंपनी सचिव को संबोधित, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर रक्षक, बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में रजिस्टर्ड डाक/कूरियर के माध्यम से ताकि ईजीएम बैठक के लिए तय की गई तारीख के कम से कम 14 दिन पहले किसी कार्यदिवस को अर्थात् 1 मई, 2021, शनिवार को शाम 04:00 बजे तक या पूर्व दी जाए:
- b) विधिवत भरा गया घोषणा फार्म;
- c) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों में से न्यूनतम एक सौ का नामांकन;

- d) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा तथा संलग्न प्रारूपों में संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणपत्रों की वचनबद्धता, प्रशंसा-पत्र यथा आत्मविवरण की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।

उक्त नामांकन फार्म एवं अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए विफल होने पर नामांकन खारिज होने के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं।

III. नामांकनों की जाँच एवं निदेशकों का चुनाव :

- a) नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्यदिवस को, अर्थात् सोमवार 03 मई 2021 को बैंक के द्वारा नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे उसके वैध न पाए जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात रद्द कर दिया जाएगा।
- b) वैध नामांकन आरबीआई के निर्देश तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति (एनआरसी)/निदेशक मंडल की जाँच के अध्यक्षीन है। जैसा कि आरबीआई निर्देशाधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की प्रकृति के समान हैं, बैंक उम्मीदवारों के उचित और उपयुक्तस्थिति का निर्धारण करते समय सख्त विचार कर सकता है। जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया गया है बैंक में प्राप्त कानूनी परामर्श तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अनुसार, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए 'उचित और उपयुक्त' नहीं माना जाएगा।
- c) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से अन्य जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
- d) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली उक्त रिक्त के लिए केवल एक नामांकन हो तो यथा नामित उम्मीदवार को उसी समय से चयनित माना जाएगा तथा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक उस तारीख से पद ग्रहण करेंगे, जिस दिन उन्हें चुना गया है।
- e) यदि एक वैध नामांकन से अधिक नामांकन हो तो उम्मीदवार का नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा चुनाव ईजीएम में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार अपने पक्ष में अधिकांश मतों की प्राप्ति में यथा दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग का कुल योग निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक **मंगलवार, 18 मई 2021** को पदभार ग्रहण करेंगे।

IV. नामांकन वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्य अवधि में यथा **मंगलवार, 11 मई 2021, शाम 5 बजे** तक या पूर्व किसी भी समय कंपनी के सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शेयर्स कक्ष, प्रधान कार्यलय, 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 पत्र या complianceofficer@psb.co.in पर ईमेल भेजे, उसके बाद उक्त का कूरियर/स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषण करें।

V. वोटिंग प्रक्रिया ईजीएम के दौरान :

चुनाव के लिए मतदान दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक में मतदान के माध्यम से किया जाएगा।

दूरस्थ ई-वोटिंग बुधवार 12 मई, 2021 की सुबह 10 बजे से रविवार 16 मई 2021 को शाम 5.00 बजे तक होगी। ईजीएम के दौरान मतदान ई-वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा के तुरंत बाद शुरू होगा। वोटों की संख्या उनके द्वारा मंगलवार, 20 अप्रैल 2021, निर्दिष्ट तिथि को शेयरों की संख्या के आधार पर होगी।

VI. विवाद :

यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठके) विनियम, 2008 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा ।

VII. निदेशक का निष्कासन :

शेयरधारकों का ध्यान बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3 बी) के लिए जो उक्त अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को धारा 9 (3) (i) के तहत चुने गए निदेशक को हटाने के लिए अधिकार देता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3A) की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।

VIII. उद्धरण :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए लागू अधिनियम/विनियमन/योजना/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

IX. निदेशकों का हित :

शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशकों तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने अपना नामांकर दर्ज किया है, उन्हें कारोबार के पूर्वोक्त मदों में हित तथा संबंध रखने वाले माने जाएंगे ।

X. रिट याचिका :

शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया 2020 को वापस लेने के बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी। बैंक ने इस मामले में विपक्ष में अपना हलफनामा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटान किया जाना बाकी है। चुनाव प्रक्रिया के साथ-साथ परिणाम रिट याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 अप्रैल, 2021

(एस. कृष्णन)
प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के प्रावधान और शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) में निहित है।

बैंक विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2008, आरबीआई के "उचित और उपयुक्त" मापदंड आरबीआई के अधिसूचना 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007, अधिसूचना डीबीओडी बीसी संख्या 95/29.39.001/2010-11 के साथ पढ़ा जाए तथा दिनांकित-01.06.2011 संशोधित 25.03.2015 व 07.06.2016 अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार के दिशानिर्देश) के चयन के लिए दिशानिर्देश तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.09.2013 जो शेयरधारकों के निदेशक के लिए लागू हो के प्रासंगिक विनियमों को क्रमशः शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949

प्रयाप्त हित - खंड 5 (एनई)

- (i) कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी पति या अवयस्क बच्चे या तो अकेले या साथ मिलकर लाभार्थी के रूप में अपना हित धारण करना। इस संबंध में भुगतान राशि 5 रुपया या कंपनी प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत इस दोनों में जो भी कम हो, होना चाहिए;
- (ii) फर्म के संबंध में इसका अर्थ किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या अवयस्क बच्चों के द्वारा फर्म में लाभार्थी के रूप में अपना हित रखना संबंधित फर्म के सभी भागीदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिषेध - धारा 16(1) :

भारत में निगमित कोई भी बैंककारी कंपनी अपने निदेशक बोर्ड में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं रखेगी जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक है।

ऋण व अग्रिम पर प्रतिबंध - धारा 20 :

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के खंड 77 में विहित कुछ भी विपरीत के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी-
 - a) अपने शेयर के प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा
 - b) निम्नलिखित की ओर से किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए।
 - i. कंपनी का कोई निदेशक
 - ii. कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हो, अथवा
 - iii. बैंककारी अधिनियम, 1956 के खंड 25 के अंतर्गत कोई पंजीकृत कंपनी या बैंककारी कंपनी का कोई कंपनी अनुषंगी न हो अथवा कंपनी या अनुषंगी अथवा एक सरकारी कंपनी में बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक कर्मचारी या गारंटीकर्ता अथवा जिसमें बहुत अधिक हित रखते हो अथवा
 - iv. कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
- 2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय व्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए; बशर्त भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम

की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3) उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी छूट/ माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।

4) जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या :

- “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगी जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।
- “निदेशक” से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य

5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार को सीमित करना :

धारा 3(2ई) : केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना :

धारा 9 (3) (1) : जहाँ धारा 3 की उप धारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी :

- a) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो एक निदेशक
- b) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, तो दो निदेशक
- c) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो केन्द्र सरकार को छोड़कर तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक इस योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने पर अथवा उससे पहले, अनुरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह कानून आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं

इस तरह से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9 (3 क) : उक्त-खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक-

A) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. अन्य कोई विषय जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में अनुरूप नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

• (आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी बीसी. एनओ.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तार दिया है जिससे बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सके)

B) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

C) किसानों, कामगारों कारीगरों के हित के प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9 (3 क क): उप-धारा 3(क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित कानून में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप-धारा 3 के खण्ड (आई) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार "उचित एवं उपयुक्त" स्थिति में होना चाहिए।

धारा 9 (3 क ख): भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(कक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में "उचित एवं उपयुक्त" स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 ख) : जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरूप नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक के निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित है।

निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, सलाहकार अधिकारी या अनुरूप नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल :

खण्ड 9 (4):

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारित नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता :

खण्ड 10 :

किसी व्यक्ति को निर्देशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा

- यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा था प्रशमन किया हो, या
- यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या
- यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो, या
- यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ई) एवं (एफ) के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

निदेशक के पद का रिक्त होना :

खण्ड 11 :

- यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्त प्रभावी होगा।
- उपर्युक्त उप-धारा के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में उल्लेखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जब निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार के अलावा कर्मचारी या कार्मिक नहीं रहता है, जिसके वह निदेशक हैं।
- जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्त हो जाती है, तो वह अधिनियम का धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना :

खण्ड 11 क :

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारिता कुल शेयर पूँजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से प्रेरित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निर्देशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्त को भरने हेतु दूसरे को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति का भरा जाना :

खंड 11 ख :

- जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी। बशर्ते की जहां रिक्ति की अवधि छः महीने से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जाएगी।
- उप-खण्ड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति जैसा मामला हो, अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए परग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन :

खंड 12 (8) :

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र वह बोर्ड को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था

या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप-खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से कम धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के निदेशक है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बँठकें) विनियम, 2008

विनियम 10: संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस का निष्पादन करने और पंजाब एण्ड सिंध बैंक से संबंधित अन्य सभी या किन्हीं मामलों में प्रथम नामधारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

विनियम 63 : निदेशकों का चयन आम सभा में होगा :

- i. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (1) के अनुसार निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य बैठक में उनके बीच में से ही किया जाएगा।
- ii. जहां किसी निदेशक का चुनाव किसी भी सामान्य बैठक में होना है, उसके बाद बैठक की सूचना देने वाले नोटिस को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियां जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

विनियम 64 : शेयरधारकों की सूची :

- i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के लिए रजिस्टर में उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निर्देशक का चुनाव किया जाना है।
- ii. इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा पारित शेयरों की संख्या तथा उनके शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और आवेदन पर इस सूची की प्रतियां निदेशक बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए जाने वाले मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

विनियम 65 : चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन :

- i. निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि
 - a) वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो।
 - b) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
 - c) उसने अपने नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया हो।
 - d) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत नियत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बशर्ते कि कोई शेयरधारक जो एक कंपनी है, के द्वारा किया गया नामांकन उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाए और जहां ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

- e) नामांकन के साथ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अशोरेसेज के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की गई यह घोषणा संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ii. कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त न हो जाए।

विनियम 66 : नामांकनों की संवीक्षा (जांच) :

- i. नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण दर्ज किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार से चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii. ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- iii. वह निदेशक जिसका चयन किसी मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

विनियम 67: चुनाव विविद

- i. यदि किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है। अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उठता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रत्याशी या शेयरधारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, वह इस प्रकार के चुनाव के परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उसे उन आधारों का पूर्ण विवरण देना होगा जिन पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद करता है।
- ii. उप विनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक हों जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
- iii. उप विनियम (i) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव था तब वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधिमान्य नहीं था, तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव कराने सहित, जैसा कि समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, निर्देश जारी करेगी।
- iv. इस विनियम के अनुरूप ऐसी समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

विनियम 68: मताधिकार का निर्धारण :

- i. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन सामान्य बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अध्यक्षीन, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयर धारक, जो एक कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी है वह उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो, उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां उपर्युक्त के अनुरूप उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए 'कम्पनी' से तात्पर्य कोई भी कॉर्पोरेट निकाय से है।

iii. बैंक के शेयर धारक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त करेंगे, परंतु ऐसे किसी बोलने का अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69: विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान :

i. कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कंपनी, एक संकल्प के द्वारा, जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी ओर से इस प्रकार से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

ii. बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमा न कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के (सार्वजनिक बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त' मापदंड) दिशा-निर्देश, 2019 :

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना आरबीआई / डीबीआर/ 201-20/71 मास्टर निर्देश डीबीआर एपीपीटी सं. 9/29,67,001/2019- दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 80 की उप-धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त और उचित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पीएसबी के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं :

'उपयुक्त और उचित' स्तर आदि का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी, पद्धति/ क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(क) प्राधिकारी

बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए (अधिग्रहण और हस्तांतरण का उपक्रम) अधिनियम, 1970/1980 के तहत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" का गठन करना आवश्यक है (समिति) जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक हों, उनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कम से कम एक सदस्य को शामिल करना चाहिए। भारत सरकार के नामित निदेशक और बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 (3) (ग) (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के तहत नामित निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे।

बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। बोर्ड को उनमें से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करना चाहिए। अध्यक्ष सहित तीन कोरम आवश्यक है। यदि किसी भी नामित सदस्य की अनुपस्थिति होने के कारण कोरम प्राप्त के लिए, बैठक के लिए उसके स्थान पर बोर्ड किसी अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक को नामित कर सकता है। समिति के गठन के समय, बोर्ड अपने कार्यकाल पर निर्णय ले सकता है।

(ख) पद्धति और क्रियाविधि

बैंक चुनाव हेतु अपना नामांकन दर्ज करने वाले व्यक्तियों से अनुलग्नक(अनुलग्नक 1) में दिए गए प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेगा। समिति नामांकन की मंजूरी हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के बाद बैठक करेगी तथा नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर निर्धारित करें कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। समिति की बैठक में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित प्रकार से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा यदि मतदान हुआ है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवार की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट अनिवार्यताओं को पूरा करता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए यदि आवश्यक समझे उचित प्राधिकारी / व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है।

(ग) मानदंड

नामांकन समिति को नीचे दिए गए बोर्ड मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों के "उपयुक्त तथा उचित" स्तर का निर्धारण करना चाहिए:

- i. **आयु** - चुनाव हेतु नामांकन दर्ज करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ii. **शैक्षणिक अहर्ता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होनी चाहिए।
- iii. **अनुभव व विशेषज्ञता का क्षेत्र** - उम्मीदवार को आरबीआई परिपत्र डीबीआई.एपीपीटी.बीसी सं.39/2.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंकारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3ए)/(ए)/सेबी अधिनियम की धारा 19 ए(ए) में वर्णित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष जानकारी या प्रायोगिक अनुभव होना आवश्यक है।
- iv. **अयोग्यता** - एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / धारा 10 के राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 की में निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अलावा अतिरिक्त
 - a. उम्मीदवार को किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा एवं उप पैरा (सी) के उद्देश्य हेतु, "बैंक" शब्द किसी बैंकिंग कंपनी, अनुरूप नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल होगा।

- b. किराया खरीद, वित्त पोषण, धन उधार देना, निवेश, पट्टे पर देने एवं बैंकिंग संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी कंपनियों के निवेशकों का उन कम्पनियों पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
 - c. कोई भी व्यक्ति जिसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में चाहे निरंतर या अंतराल पर छः वर्ष तक किसी बैंक (जिसमें वह बैंक शामिल है जिसमें उसने अतीत में निदेशक के रूप में कार्य किया है)/ एफआई/आरबीआई/बीमा कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
 - d. ऐसे व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
 - e. ऐसा व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अर्थात् क्षेत्रीय परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि के रूप में अधिसूचित) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
 - f. ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो।
 - g. ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन भरा गया है।
- v. **कार्यकाल** - चुने गए निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा:
बशर्त कि ऐसा कोई भी निदेशक छह वर्ष की अवधि से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकेगा, चाहे उसने निरंतर या अंतराल पर कार्य किया हो।
- vi. **व्यावसायिक प्रतिबंध**
 - a. ऐसे व्यक्ति का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई कारोबारी संबंध (विधिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं इत्यादि सहित) होना चाहिए न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संबद्ध होना चाहिए जो कि उस बैंक के साथ कारोबारी हितों में टकराव उत्पन्न करे।
 - b. ऐसे व्यक्ति के किसी बैंक या अन्य किसी बैंक वाली किसी एनओएफएचसी के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंध नहीं होने चाहिए।
 - c. चुनाव हेतु नामांकन भरते समय बैंक के साथ ऐसा संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को मद (ख) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करने वाला मान लिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में चुना जाता है और निर्वाचित होता है, तो बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व उसका ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा।
- vii. **पिछला कार्यनिष्पदन रिकार्ड व निष्ठा** - ऐसे व्यक्ति को किसी नियमक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या विधि प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस नहीं मिला हो तथा वह व्यक्ति समिति किसी भी ऋण संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्न प्राप्त करना चाहिए :

- (a) निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले ऐसे व्यक्ति को अनुबंध में दिए गए प्रारूप में निष्पादित विलेख;
- (b) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस संबंध में एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (c) जहां निर्वाचित निदेशक यह सूचित करते हैं कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नई घोषणा प्राप्त करेंगे जिसमें परिवर्तन किए गए हैं।

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त,

- (a) चयनित सी.ए. निदेशकों/उनके फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटन सहित, सुरक्षा की उचित व्यवस्था स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि वे उनके/फर्म के ग्राहकों के बैंक ऋण/निवेश के निर्णय में शामिल न हों। चयनित सी.ए. निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वे अनिवार्यतः इस पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग करें तथा इस संबंध में शर्तों पर हस्ताक्षर करें।
- (b) यह व्यवस्था करना कि चयनित निदेशक, अपने हितों की कारोबारी इकाइयों में निदेशक होने का पूर्ण तथा उचित प्रकटन करें। इसके अतिरिक्त संबंधित निदेशक, उनसे संबंधित संस्थाओं से संबद्ध बैंक के ऋण/निवेश के निर्णयों से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को करें।
- (c) निदेशक रूप में चयनित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में पद छोड़ने के दो वर्ष के बाद की अवधि तक संबंधित बैंक में कोई पेशेवर काम आबंटित न करना।

जहाँ चयनित निदेशक :

- (a) विफल होता है:

- (i) 'शर्तों का विलेख' या घोषणा प्रस्तुत करना; या
- (ii) उचित प्रकटन करना; या
- (iii) ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता करने से बचना, जहाँ उसका हित है; या

- (b) अधूरा या गलत प्रकटन करना, या

- (c) ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार उन्हें "अयोग्य तथा अनुचित प्रतिपादित करते हैं। ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि वे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तथा वे इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 25 जनवरी, 2021

भारत सरकार ने 25 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 में एक विशेष प्रावधान (खण्ड 14क) सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया:

“जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके के संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सकते हैं”।

अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक के चयन के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 3 सितंबर, 2013 के माध्यम से परामर्श दिया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशक के 'उपयुक्त तथा उचित स्थिति' का भी निर्धारण करते समय, गैर-कार्यकारी निदेशक (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को

ध्यान में रखे। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 28 अप्रैल 2015 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 25 मार्च, 2015 तथा अपने पत्र दिनांकित 20 जुलाई 2016 के माध्यम से संशोधन दिनांकित 08 जुलाई 2016 अग्रेषित किए हैं, जिसका सार निम्नानुसार है:-

क) सामान्य:

1. संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किए जाएंगे।
2. नामांकितियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यानिष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है। सत्यानिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई नागरिक कार्यवाही, पेशेवर-निकायों से प्रवेश या निकासी से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि को आधार माना जाएगा।

ख) अनुभव:

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक अनुभवधारक व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. कुल 20 वर्षों के अनुभवधारक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हो। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रिमियर प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्राध्यापक (प्रोफेसर) जिन्हें 20 वर्षों का अधिक अनुभव हो।
4. ऐसे सनदी लेखाकार जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) को भी वरीयता दी जाएगी।
5. हालांकि, प्रकरणों के गुणावगुण आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

ग) शिक्षा:

एनओडी किसी भी संकाय में स्नातक होना चाहिए, अधिमान्यतः व्यवसाय-प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता।

घ) आयु:

समिति द्वारा सिफारिश की तारीख पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ड.) कार्य अनुभव:

आमतौर पर पेशेवर/शिक्षाविदों को उनके क्षेत्र विशेष में काम करने का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

च) अयोग्यताएं:

1. बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही निदेशक के रूप में होने पर किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन के पर विचार नहीं किया जा सकता है।
2. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स को बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि हायर परचेज़, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न निवेशकों का इस प्रकार के कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो एनओडी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति ने विगत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के तौर पर बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में दो कार्यकालों या छह वर्ष (जो भी अधिक हो) तक सेवाएं दी हों, उसे उसी बैंक/वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है।
4. सनदी लेखाकार, यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षा के रूप में प्रवृत्त है।
5. सनदी लेखाकार, यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में प्रवृत्त है।

छ) कार्यकाल:

बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड पर छह वर्षों के लिए लगातार या सविरामता से एनओडी/ शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं।

ज) व्यवसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध का मामला बनाम लाभ के पद की पृथक रूप से जांच की जा सकती है।

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर देश के सभी छह क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

जैसा कि आरबीआई निर्देश और भारत सरकार दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की प्रकृति एक समान है, बैंक उम्मीदवारों के 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है।

बैंक का नाम: पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रस्तावित निदेशको (उम्मीदवार) द्वारा घोषणा एवं वचन (यथोचित संलग्नको सहित)

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी												
I. व्यक्तिगत विवरण														
a	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम										
b	वर्तमान पता													
c	राष्ट्रीयता													
d	जन्मतिथि तथा आयु	__/__/__, आयु: __वर्ष __ माह __ दिन												
e	शैक्षिक योग्यता													
f	निदेशक पहचान संख्या													
g	आधार संख्या (वैकल्पिक)													
h	(क) स्थायी खाता संख्या (ख) आयकर सर्कित/वार्ड का नाम/पता जहां प्रस्तावित निदेशक के कर (आयकर क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाता है। गत 3 वर्षों के लिए रिटर्न फ़ाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	<table> <tr> <td>फाइल करने की तिथि</td> <td>प्रदत्त कर राशि (₹ में)</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			फाइल करने की तिथि	प्रदत्त कर राशि (₹ में)								
फाइल करने की तिथि	प्रदत्त कर राशि (₹ में)													
i	स्थाई पता													
j	ईमेल /वैकल्पिक ईमेल का पता : एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर :													
k	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव (संदर्भ लें- <ul style="list-style-type: none"> बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2) कैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3 ए) एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 ए (i) यथास्थिति बैंककारी कंपनी के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी. बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित)													

l	वर्तमान पेशा (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त लेख)				
m	पिछले न्यूनतम 10 वर्षों का पेशा, जिन संगठनों में कार्य किया है, उनके पूर्ण पते, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यभार मुक्त होने की तिथि (कारण सहित) पदनाम आदि।				
n	सनदी लेखाकार के संबंध में, निम्नलिखित की सूचना दे: (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम व पता: (घ) फर्म/फर्मों या आपके द्वारा वर्तमान में की गई लेखा परीक्षा (ओं) का विवरण:				
o	शाखा का नाम तथा खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ बैंक/को का नाम, जहां आप एक मूल खाताधारक हैं	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
p	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसीएस) से समेकित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी माँड्यूल सहित)				
q	बैंक की निदेशकता से संबंधित जानकारी				

II प्रस्तावित निदेशक से संबंधित रिश्ता

a	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से किसी प्रकार से जुड़े हैं {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 77 तथा कंपनी (परिभाषा का विशेषीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें}									
b	(i) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उस पर हित लेने के लिए विचार किया जा सकता है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)। बैंकों/एनबीएफसीएस/ कंपनियों/निकायों कॉर्पोरेट/फर्मों/व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का पृथक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। (ii) ऐसी संस्थाएँ जिनमें वह हिताधिकारी स्वामित्व रखता/रखती हों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के प्रमुख हिताधिकारी स्वामित्व नियमों का भी संदर्भ लें) (iii) न्यासों की सूची जिसमें ट्रस्टी के रूप में पदस्थ है।									
c	वर्तमान और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)*की परिभाषाओं के अंतर्गत पर्याप्त हित रखता/रखती हैं। पर्याप्त हित (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका तात्पर्य है किसी	<table><tr><td>कंपनी/फर्म का नाम</td><td></td></tr><tr><td>निगमीकरण देश</td><td></td></tr><tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr><tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr></table>	कंपनी/फर्म का नाम		निगमीकरण देश		शेयरों की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
कंपनी/फर्म का नाम										
निगमीकरण देश										
शेयरों की संख्या										
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य										

	व्यक्ति या उसके जीवन साथी या उसके अव्यस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर कंपनी के शेयरों में पाँच लाख रुपये से अधिक या कंपनी की चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, लाभार्थी हित धारण करना; (ii) एक फर्म के संबंध में, इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या उसके अव्यस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करना।	शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य कुल चुकता पूंजी की % रूप में शेयरधारिता लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में) क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।	
d	विदेशों में निगमित संस्थाओं में शेयरपूँजी और भारत में व्यवसाय के स्थान का विवरण		
e	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान/ पूर्व में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि हैं/थे (ऐसे कार्यालय में पदधारिता की अवधि का विवरण दें)		
f	आपके द्वारा तथा/या बैंक की ओर से उपरोक्त II (b) से (d) में सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्तमान में ली गई निधि और गैर-निधि सुविधाएं (यदि हो)		
g	ऐसे मामले (यदि हो) जहां आप या उपर्युक्त बिंदु II (b) से (d) में सूचीबद्ध इकाईयों ने बैंक/किसी अन्य बैंक/एनबीएफसी से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है या विगत 10 वर्षों में चूककर्ता रह हो ।		
h	प्रकरण (यदि हो)जहां वह चूककर्ता है या किसी बैंक/एनबीएफसी /किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।		

III व्यवसायिक उपलब्धियों का अभिलेख

a	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यवसायिक उपलब्धियां	
IV प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों,		
a	यदि वह किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण (यदि हो), लंबित या आरंभ की गई या गत समय में उनके विरुद्ध दोष सिद्धि हुई हो जहाँ उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया हो	
b	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उसके या उपरोक्त II (b) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध विगत में लंबित या प्रारंभ किए गए या परिणाम में दोषी ठहराया गए अभियोग का विवरण (यदि हो)	
c	लंबित या आरंभ किए गए या दोषसिद्धि पाए गए का विवरण आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि कोई हो	
d	क्या निदेशक में कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 164 के तहत परिकल्पित कोई अयोग्यता है, तो उसका विवरण ।	
e	क्या वह या उपरोक्त II (b) और (e) में विनिर्दिष्ट कोई इकाई सरकारी विभाग या एजेंसी के दृष्टांत पर किसी भी जाँच के अधीन है।	
f	यदि वह सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/ आयकर/विदेशी विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधि संबंधी अपेक्षाओं के उल्लंघन के संबंध में दोषी पाया गया है तो उसका विवरण ।	

9	<p>क्या वह कभी भी किसी नियामक संस्था जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि के प्रतिकूल नोटिस में आया है।</p> <p>(यद्यपि उम्मीदवार के लिए नियामकों द्वारा जारी आदेशों और परिणामों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में पूर्णतः रिवर्स/ रद्द (सेटिंग असाइड) किया गया हो, यदि रिवर्सल/अपास्त किया जाना योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों जैसे क्षेत्राधिकार की परिसीमा या अभाव के आधार पर हो तो उक्त का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यदि आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गी है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए)</p>	
<p>V मद संख्या I से IV के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी और 'उचित व उपयुक्त' मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी</p>		
घोषणा		
<p>मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि, मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होने वाली सभी घटनाओं की पूर्ण जानकारी मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को दूंगा/दूंगी जो कि उपर्युक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं स्वयं को बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से दूर रखूंगा/रखूंगी उन इकाइयों जिनमें मैं हितबद्ध हूँ, के बैंक ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लूंगा/लूंगी।</p>		
<p>मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि, बैंक के निदेशको द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करूंगा/करूंगी।</p>		
<p>स्थान:</p>	<p>प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) के हस्ताक्षर</p>	
<p>दिनांक:</p>		
<p>अपने आप में संतुष्ट होने पर एनआरसी/ निदेशक मंडल की टिप्पणी यह कि उक्त सूचना सत्य एवं पूर्ण है।</p>		
<p>स्थान:</p>	<p>अध्यक्ष के हस्ताक्षर</p>	
<p>दिनांक:</p>		

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(पीएसबी विनियमन का विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती निवास
..... एतदद्वारा, पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- a) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक का शेयरधारक हूँ और चुनाव में सहभागिता हेतु विनिर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 को फोलियो नं. /डीपीआईडी नं. / ग्राहक आईडी नं. के अंतर्गत ₹ 10/-प्रति शेयर अंकित मूल्य के बैंक के इक्विटी शेयर हैं और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुना जाता हूँ तो कार्यकाल के अंत तक इन शेयरों को रखने का वचन देता हूँ;
- b) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों या क्षेत्र में/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव* है जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके प्रमाण के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसा-पत्र, प्रस्तुत करता हूँ और (*जो लागू नहीं है उसे काट दें)
- c) मैं नामांकन संख्या स्वीकार करता/करती हूँ; और
- d) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ; और
- e) मैं बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2008 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देश तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक के पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ ।
- f) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; और
- g) मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अंतर्गत उप-धारा (1) धारा 3 के अनुसार गठित है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि:

- a) मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान निलंबित या लेनदारों के साथ जोड़ा नहीं गया है; और
- b) मुझे कभी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और न ही किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नैतिक अधमता जैसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; और
- c) मैं किसी भी समय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के रोजगार में नहीं था; और
- d) मैं किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्धोषित अपराधी नहीं हूँ; और
- e) मैं यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो बैंक के साथ यदि कोई पेशेवर रिश्ता हो, तो उसे तोड़ दूंगा और उस कार्यकाल दौरान बैंक के साथ किसी भी व्यवसायिक रिश्ते का निर्वाह उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए नहीं रखूंगा, और
- f) मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- g) मैं हायर खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ।
- h) मैंने किसी भी श्रेणी के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारिबैंक/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों तक कार्य नहीं किया है।
- i) मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में नहीं लगा हूँ।

- j) मैं लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा या निगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का तात्पर्य किसी अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि निकायों से है) के कसी भी पद पर नहीं हूँ।
- k) मैं ऐसे किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संलग्न है।
- l) मैं ऐसे किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसमें चुनाव के लिए नामांकन किया गया है, के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा या संगामी लेखापरीक्षक के रूप में संलग्न है।
- m) मेरा न तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ व्यावसायिक हितों में टकराव हो सकता है।
- n) मेरा बैंक या किसी एनओएफएचसी (NOFHC) धारित किसी अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है तथा वचन देता हूँ कि निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व बैंक के साथ संबंध, यदि हो तो, समाप्त कर दूंगा।
- o) मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।
- p) निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण से पूर्व मैं प्रसंविदा विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांकित 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ।
- q) मैं यथाशीघ्र बैंक को वृत्तांत (यदि कोई हो) की पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ जो इस घोषणा के बाद उत्तरवर्ती है जो बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुनाव पर यहाँ दी गई जानकारी तथा प्रसंविदा लेख के निष्पादन से प्रासंगिक है।
- r) बैंक के निदेशक के रूप में पद पर रहने तक मैं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन का वचन देता हूँ।
- s) मैं नीचे, अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थानों में वर्तमान के साथ अपने पिछले निदेशक पद का भी विवरण दे रहा हूँ-

कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थानों का नाम	निदेशक पद का विवरण यथा कार्यकाल, अवधि, निदेशक पद की प्रकृति इत्यादि

(आवश्यक होने पर अतिरिक्त कतार/शीट जोड़ें) (जो लागू नहीं है उसे काट दें)

- t) मैं अपने व्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्ण व सही है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं है)	
डीपी आईडी व ग्राहक आईडी (यदि अमूर्त है)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई है।

न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एशयोरेंस रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर (जो लागू नहीं है उसे काट दें)

दिनांक सहित हस्ताक्षर व मुहर



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)

(पीएसबी विनियमन के विनियम 65 का संदर्भ लें)

क्रम संख्या.....

प्रति,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली-110008

आदरणीय महोदय/महोदया,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम सूचना दिनांकित 23/04/2021 के संदर्भ में मैं..... पंजाब एण्ड सिंध बैंक का शेयरधारक हूँ और मेरे पास चुनाव में सहभागिता हेतु विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 को ₹ 10/-प्रति शेयर के इक्विटी शेयर हैं और मैं एतदद्वारा श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी को सोमवार, 17 मई 2021 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) में किए गए उपबंध अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए नामित करता हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं है)	
डीपी आईडी व ग्राहक आईडी (यदि अमूर्त है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ संबंधित बोर्ड के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Monday, the 17th day of May, 2021** at 11.00 a.m. to transact the following business:

1. To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as “**the Act**”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as “**the B R Act**”) and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as “**the Scheme**”) and the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulation, 2008 (hereinafter referred to as “**the Regulations**”) made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any ((hereinafter referred to as “**RBI Directions**”) and Notification No.F.No. 16/83/2013-BO.I dated September 03, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendments thereto ((hereinafter referred to as “**GOI Guidelines**”) and to pass the following resolution with or without modification(s)

RESOLVED THAT ONE Director elected from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with the B R Act, Scheme, Regulations made thereunder, RBI directions and Government Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of result of election and shall hold office until the completion of a period of 3 years from the date of such assumption.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 23 April, 2021

[S Krishnan]
Managing Director & CEO

NOTES:

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, permit holding of EGM through VC/OAVM up to June 30, 2021.

In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

Considering COVID-19 pandemic and lockdown restriction, copies of the Notice of EGM in physical form is not being dispatched and is being sent only through e-mail to those Shareholders who have registered their Email Id's with the Bank or with the Depository Participant. The notice of EGM will also be hosted on the website of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or depository participant in case of shares in demat form, for updation of mail id.

2. **Specified / cut-off Date: Tuesday, the 20th April 2021** has been fixed as the Specified / Cut-off date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., Nominate, Contest and Vote in the Election of One Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

3. **VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

4. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this EGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

5. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):**

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **5.00 p.m. on Wednesday, 12th May 2021**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

6. The notice of the meeting is available for downloading from the website of the Bank viz. www.psbindia.com (Investor Info Page'), on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

7. **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of notice.

8. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

9. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday, 20 April, 2021**.
- II. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on Election through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

V. The instructions for remote e-voting are as under:

- i. The remote e-voting period begins at **10.00 am., on Wednesday, 12th May, 2021** and ends at **5.00 pm. on Sunday, 16th May, 2021**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the specified date of **Tuesday, 20 April, 2021** may cast their vote electronically.
- ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- iii. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iv. Click on "Shareholders" module.
- v. Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from **Login - Myeasi** using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.

- vi. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vii. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- viii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

	<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- ix. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- x. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- xi. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting as per details mentioned in this Notice.
- xii. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- xiii. On the voting page, you will see Names of Candidates and their profile, **YOU HAVE TO SELECT ONLY ONE CANDIDATE AMONGST THEM AND CLICK ON SUBMIT.**
- xiv. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xv. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvi. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xvii. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xviii. Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app “**m-Voting**”. The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
2. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of the Bank will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

(ii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

10. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer’s Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer’s Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

11. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, New Delhi-110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

12. OTHER INFORMATION

- a. Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.
- b. As per Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from 01st April, 2019, except in the case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to mitigate the risk associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.
- c. In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 23 April, 2021

[S.Krishnan]
Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT

Election of One Shareholder Director

Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (The Act) provides for election of Directors from amongst Shareholders, other than the Central Government, and the section inter alia provides that one Director to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves, if the capital issued to public by the Bank is not more than 16% of total paid-up capital. Subsequent to allotment of equity shares to Government of India on 25.03.2021 by way of Preferential Issue the public shareholding holding in the Bank is 2.93%

With a view to fill the vacancy of the Shareholder Director, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of one Director representing shareholders (other than the Central Government) of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/ Scheme / Regulations / RBI Directions / Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> • Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9 (3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) & Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13 (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> • Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66	<ul style="list-style-type: none"> • Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election

	Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt.No: 9/ 29.67.001/ 2019-20 dated August 02, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019.
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref F.No.16/83/2013- (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25 th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012- BO.I. dated 28 April 2015 and Revised Guidelines dated 8 July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012-BO.I. dated 20 July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular RBI/2015-16/95 DBR No.DIR.BC.10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/ 2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners as on the Specified Date i.e., on **Tuesday, the 20th April, 2021**, shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in the election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an observer.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- Agricultural and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry

- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

B. Represents the interest of depositors; or

C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having “Fit and Proper” status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Further, the elected Directors will have to execute deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- iv) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(B) If he is not found to be ‘Fit and Proper’ person in terms of Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

PLEASE NOTE – In terms of the legal advice received by the Bank and taken on record by the Board of Directors, Ex-employees of Punjab & Sind Bank will not be considered as Fit & Proper to contest the election of shareholder director of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD/Pen Drive or such other media) will be available at Head Office of the Bank at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008, from **Monday, 26th April, 2021** onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft / Pay Order of Scheduled Bank in favour of “Punjab & Sind Bank” payable at New Delhi. The Candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to “The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Shares Cell, Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-

110008” with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 on all working days (other than Sundays, 2 & 4 Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m.to 5.00 p.m.. If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- (Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 65 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, RBI Directions and GOI Guidelines and any further amendment thereto or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He/she is a shareholder holding not less than **100 (One hundred) shares** of the Bank as on **Tuesday, the 20th April 2021** being the Specified Date / Cut-off fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on **Saturday, 1st May, 2021**, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 and thereafter has been found “Fit and Proper” by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions – Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions dated 02nd August 2019, read with the Guidelines dated 25th March 2015 and 08th July 2016 issued by the Government of India for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- c) The valid nomination is in writing signed by at least **100 (one hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched / deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- ⇒ The valid nominations are to be accompanied by or contain a declaration signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India / any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Directions/applicable GOI guidelines from being a Director.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website www.psbindia.com along with full Notice).

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

- a. Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope super scribing thereon **“Punjab & Sind Bank – Election of Shareholder Director – 2021” in person or through Registered Post / Courier addressed to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank,**

HO Accounts & Audit Department, Share Cell, Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e. on or before 04:00 p.m. on Saturday, 1st May 2021:

- b. Duly filled in Declaration Form;
- c. Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- d. Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.**

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a. Nominations shall be scrutinized by the bank on Monday, **the 3rd May 2021**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- b. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors as the case may be in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates. As already indicated earlier, in terms of legal advice received by the Bank and taken on record by the Board of Directors, Ex-employees of Punjab & Sind Bank will not be considered as Fit & Proper to contest the election of shareholder director of the Bank.
- c. The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board of Directors seek further information, documents from the candidates.
- d. If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his / her name shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in newspapers. The newly elected director will assume office from the date following the date on which he/she is deemed to be elected.
- e. If there are more than one valid nomination, the names of the candidates shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in newspapers and Election will be held at the EGM. The candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced. The newly elected directors will assume office on **Tuesday, the 18th May 2021**

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before **5.00 p.m. Tuesday, the 11th May, 2021** by sending a letter addressed to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Shares Cell, Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or by email to complianceofficer@psb.co.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/ Registered Post.

V. VOTING PROCESS AT / DURING THE EGM

The voting for the election will be done through Remote e-voting and Voting at the Meeting.

Remote e-voting will be held from 10.00 am., on Wednesday, 12th May, 2021 and ends at 5.00 pm. on Sunday, 16th May, 2021.

The voting at the EGM shall be done through E-Voting and will commence immediately after an announcement is made by the Chairman of the meeting.

The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **Tuesday, the 20th April 2021**, the Specified Date.

VI. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.

VII. REMOVAL OF DIRECTOR

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 on the right of the Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

VIII. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Regulation / Scheme / RBI Directions / GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

IX. INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

X. WRIT PETITION

In respect of election of shareholder director, a Writ Petition was filed before the Hon'ble Delhi High Court, challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020. The Bank has filed its affidavit in opposition in this matter. The Writ Petition is yet to be disposed of by the Hon'ble High Court. The election process as well as the results are subject to the final decision on the Writ Petition.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 23 April, 2021

[S. Krishnan]
Managing Director & CEO

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, RBI's Fit and Proper Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall

- a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
- b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-

(i) any of its Directors

(ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

(iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

(iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the

Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Term of office of elected Director:

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central

Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election. Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 63: Directors to be elected at general meeting:

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders:

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election:

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Punjab & Sind Bank.
 - b) he/she is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - c) he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Punjab & Sind Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election disputes:

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it

shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i).

Explanation- for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69: Voting by duly Authorized Representative:

i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

RESERVE BANK OF INDIA ('FIT AND PROPER' CRITERIA FOR ELECTED DIRECTORS ON THE BOARDS OF PSBS) DIRECTIONS, 2019:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has notified Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 vide their Notification No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

SALIENT FEATURES OF THE RBI DIRECTIONS:

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration Committee" (Committee) consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. The Government of India nominee director and the director nominated under section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 shall not be part of the Committee.

The non-executive Chairperson of the bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The Board should also nominate one among them as Chairman of the Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case the absence of any nominated member results in want of quorum, the Board may nominate any other non-executive director in his place for the meeting. At the time of constituting the Committee, the Board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the format annexed (Annex 1), from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

(c) Criteria:

The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

- i. **Age**-The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- ii. **Educational qualification**-The candidate should at least be a graduate.
- iii. **Experience and field of expertise**-The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- iv. **Disqualifications**: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
 - a. The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- b. A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- c. No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (It includes the bank in which he/she has served as director in the past)/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- d. The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- e. The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).
- f. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
- g. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- v. **Tenure** - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:
Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- vi. **Professional Restrictions**-
 - a. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
 - b. The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.
 - c. Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.
- vii. **Track record and integrity**-The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the format annexed, before such person assumes office of director;
- (b) a simple declaration every year as on 31 March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.

The banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily disassociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to:

- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
- (ii) make proper disclosures; or
- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION DATED 25TH JANUARY, 2021

Government of India vide Notification dated 25th January, 2021 amended the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 /1980 by inserting a Special Provision (Clause 14A) which states:

“Where a Nationalized Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievance of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such committee or recusal of a member thereof, the Board may do that act or thing.”

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3 September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25 March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28 April 2015 and amendments dated 8 July 2016 vide its letter dated 20 July 2016, the gist of which are as under:

A) GENERAL:

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B) EXPERIENCE:

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

C) EDUCATION:

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D) AGE:

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

E) WORK EXPERIENCE:

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F) DISQUALIFICATIONS:

1. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
2. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
3. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G) TENURE:

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H) PROFESSIONAL RESTRICTION:

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I) REGIONAL REPRESENTATION:

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country-North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

Passport Size
Photograph of the
candidate to be fixed
here

Name of the Bank: Punjab & Sind Bank

‘Declaration and Undertaking’ by a proposed Director (Candidate) (with appropriate enclosures)

Sl No	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
a	Name	First Name	Middle Name	Last Name
b	Present Address			
c	Nationality			
d	Date of Birth & Age	__/__/__, Age: __ Years __ Months ____ Days		
e	Educational Qualifications			
f	Director Identification Number			
g	Aadhar Number (Optional)			
h	a. Permanent Account Number			
	b. Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax Jurisdiction) /	Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)	

	Name and address of Income Tax Circle / Ward Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td></tr> </table>				
i	Permanent Address					
j	E-mail Address / Alternate e-mail address: Telephone Number with STD Code: Mobile Number:					
k	Relevant Knowledge and Experience [Refer <ul style="list-style-type: none"> • Section 10A(2) of the Banking Regulation Act, 1949 • Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 • Section 19A(a) of the SBI Act, 1955 as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]					
l	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)					
m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.					

n	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s)				
o	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings / current / loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
p	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)				
q	Any other information relevant to Directorship of the Bank				

II. Relevant Relationship of Proposed Director

a	List of relatives, if any, who are connected with any Bank [Refer Sub-Section 77 of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition details) Rules, 2014]				
b	i. List of entities, if any, in which he / she is considered as being interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]. Names of the Banks / NBFCs / Companies / bodies corporate / firms / association of individuals etc. should be mentioned separately. ii. Entities in which he /she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: iii. List of Trusts in which the position as Trustee is held				
c	List of entities, existing and proposed, in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949 <i>"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i>	Name of the company / firm			
		Country of Incorporation			
		Number of shares			
		Face value of each share			
		Total Face Value of Shareholding			
		Shareholding as % of total Paid-up Capital			
		Beneficial Interest (in value as well as in % terms)			
		Whether the entity is a Section 8 Company under the Companies Act, 2013			

d	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board/ Advisor (giving details of period during which such office is / was held).	
f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the Bank	
g	Cases, if any, where he / she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the Bank / any other Bank / NBFC / any other lending institution	
h	Cases, if any, where he / she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any Bank / NBFC / any other lending institution.	

III. Records of Professional Achievements

a	Professional achievements relevant for the directorship.	
---	--	--

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc.	

	(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging ‘fit and proper’	
Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank’s credit/investment decisions involving entities in which I am interested.		
I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.		
Place:		Signature of the Proposed Director (Candidate)
Date:		
Remarks of NRC / Board of Directors of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place:		Signature of the Chair
Date:		



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

Declaration by the Candidate

(Refer Regulation 65 of the PSB Regulations)

I,son / daughter / wife of Shri/Smt
.....a resident of
.....hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holdingequity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank under Folio No. / DPID No...../Client ID No..... as on Tuesday, 20th April 2021, i.e., the Specified Date / Cut-off date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience* in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
(*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering.....; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab & Sind Bank; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, Master Directions issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks,
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- a. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have compounded with my creditors; and
- b. I have not been found of unsound mind and have not been so declared by a competent court and have not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court for an offence which involves moral turpitude or otherwise; and
- c. I have not been in the employment of Punjab & Sind Bank at any time; and
- d. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- e. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- f. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- g. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- h. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- i. I am not engaging in the business of stock broking.
- j. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

- k. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- l. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab & Sind Bank in which nomination for election is filed.
- m. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab & Sind Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab & Sind Bank.
- n. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- o. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- p. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- s. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies / Banks / other entities:

Name of the Company / Bank / other entities	Directorship details viz. tenure, period, nature of directorship, etc

(add additional rows/ sheets if necessary) (Delete whichever is not applicable.)

- t. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects

Name	
Signature	
Number of shares held	
Registered Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID & Client ID (if dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration signed before me.

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Punjab & Sind Bank or any Nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)

Signature & Seal with date



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)
(Refer Regulation 65 of PSB Regulations)

Serial No.....

To,
Punjab & Sind Bank,
Bank House, 21 Rajendra Place,
New Delhi - 110008

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to EGM Notice dated 23.04.2021 I, a shareholder of Punjab & Sind Bank holding equity shares of face value of Rs.10/- each as on Tuesday, 20th April 2021, being the Specified Date / Cut-off Date for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt. son / daughter / wife of Residing at , for contesting election of a director of Punjab & Sind Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Monday, 17th May 2021.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) DP ID & Client ID (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- 1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders / Depository Records).
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.